

प्रेषक,

अजय चौहान,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

✓ प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,  
लोक निर्माण विभाग,  
उ०प्र०, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-7

लखनऊ: दिनांक- ०९ अगस्त, 2024

विषय:-स्वीकृत लागत से कम लागत की असंतुलित निविदा दरों में अतिरिक्त परफार्मेंस सिक्योरिटी के संबंध में।

महोदय,

लोक निर्माण विभाग में स्वीकृत लागत से कम लागत की असंतुलित निविदा दरों में अतिरिक्त परफार्मेंस सिक्योरिटी के संबंध में प्रस्ताव कराने विषयक अपने पत्र संख्या-102/एच०पी०सी० दिनांक 25.06.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक निर्माण विभाग के पूर्व निर्गत शासनादेश सं०-622/23-12-2012-2 आडिट/08 टी०सी०-2, दिनांक 08.06.2012 को अवकमित करते हुए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्राविधानों के अनुसार लोक निर्माण विभाग में स्वीकृत लागत से कम लागत की असंतुलित निविदा दरों में अतिरिक्त परफार्मेंस सिक्योरिटी के संबंध में सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत निर्णय लिया गया है:-

1. यदि न्यूनतम निविदादाता की निविदित लागत, स्वीकृत (बी०ओ०क्यू०) लागत से 10 प्रतिशत तक कम (below) है तो उस पर कोई अतिरिक्त परफार्मेंस सिक्योरिटी नहीं ली जायेगी।
2. यदि न्यूनतम निविदादाता की निविदित लागत, स्वीकृत (बी०ओ०क्यू०) लागत से 10 प्रतिशत से अधिक कम (below) है तो 10 प्रतिशत से अधिक कमी (below) के सापेक्ष 1 प्रतिशत प्रति प्रतिशत कम (below) दर पर अतिरिक्त परफार्मेंस सिक्योरिटी ली जायेगी जिसे ठेकेदार से अनुबंध गठन के समय जमा कराया जायेगा।
- 3- उक्त आदेशों को लोक निर्माण विभाग की निविदाओं में लागू किया जाय।

मु०अ० (मु०-२)

मु०अ० (मु०-१) / उच्चतर अर्थ-जाने हेतु

भवदीय,

*[Signature]*  
(अजय चौहान)

प्रमुख सचिव

All zonal CES  
All SE'S

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (विकास) विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश  
पत्रांक-10090 एम० टी०/सामान्य वर्ग/2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उक्त शासनादेश में अतिरिक्त परफार्मेंस सिक्योरिटी के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क) / (परि०/नियो०), लो०नि०वि०, लखनऊ।
2. समस्त मुख्य अभियन्ता, लो०नि०वि०, उत्तर प्रदेश (ई-मेल द्वारा)।
3. वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो०नि०वि०, लखनऊ।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० (ई-मेल द्वारा)।

E.E. CD  
S.E. 105  
20/08/2024

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता  
आई०डी०एस० वृत्त लो०नि०वि०, लखनऊ

द्वारी सं० 1978 दिनांक 20.08.2024

*[Signature]* 13.8.24  
प्रमुख अभियन्ता (विकास)  
एवं विभागाध्यक्ष

लोक निर्माण विभाग  
उत्तर प्रदेश शासन  
लखनऊ